

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

राँची/दिनांक 03/10/23

प्रेषक,

अबुबकर सिद्दीख पी0, मा0 प्र0 से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:-

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय-

केन्द्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40)" का चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रथम चरण में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की केन्द्रांश/राज्यांश एवं लाभुकांश सहित कुल मो0 76.376 करोड़ (छिहत्तर करोड़ सैंतीस लाख साठ हजार) रु0 मात्र की परियोजना लागत की प्रशासनिक स्वीकृति एवं उक्त प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा कर्णांकित प्रथम किस्त के केन्द्रांश के आलोक में केन्द्रांश एवं राज्यांश को सम्मिलित करते हुए कुल मो0 10.9568 करोड़ (दस करोड़ पन्चानवे लाख अड़सठ हजार) रुपये मात्र के अनुमानित व्यय पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40)" का चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रथम चरण में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की केन्द्रांश/राज्यांश एवं लाभुकांश सहित कुल मो0 76.376 करोड़ (छिहत्तर करोड़ सैंतीस लाख साठ हजार) रु0 मात्र की परियोजना लागत की प्रशासनिक स्वीकृति एवं उक्त प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा कर्णांकित प्रथम किस्त के केन्द्रांश के आलोक में केन्द्रांश एवं राज्यांश को सम्मिलित करते हुए कुल मो0 10.9568 करोड़ (दस करोड़ पन्चानवे लाख अड़सठ हजार) रुपये मात्र के अनुमानित व्यय पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए "राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति (SLAMC) " के अनुमोदन उपरांत पत्रांक-981 दिनांक-01.06.2023 द्वारा भारत सरकार को योजनाओं की स्वीकृति हेतु भेजे गए प्रस्ताव के विरुद्ध मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक j-01011/1/2020-Fy-(E-17706) दिनांक 26.07.2023 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु मो0 76.376 करोड़ रुपये का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया है।

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं में मो0 26.29636 करोड़ रु0 केन्द्रांश से, मो0 17.53084 करोड़ रु0 राज्यांश से तथा मो0 32.5488 करोड़ रु0 लाभुकों के अंशदान से व्यय होंगे।

3. इस योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन में कुल मो 6400.00 लाख रुपये मात्र का योजना उद्ध्यय एवं समतुल्य बजट उपबन्ध प्राप्त है।

4. चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक j-01011/1/2020-Fy-(E-17706) दिनांक 26.07.2023 एवं शुद्धि पत्र सं०-j-01011/1/2020-Fy-(E-17706) दिनांक 30.08.2023 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी निर्धारित नियम एवं शर्तों के आलोक में निम्न बिन्दु उल्लेखनीय है :-

(1) भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत केन्द्रांश की राशि मो0 26.29636 करोड़ रु0 चार बराबर किस्तों में विमुक्त की जायेगी।

(2) वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुमोदित परियोजनाओं के विरुद्ध आवश्यक राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में इस योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि (केन्द्रांश एवं राज्यांश) से किया जा सकेगा।

(3) भारत सरकार से बिना प्रथम किस्त की राशि विमुक्ति के भी राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत की जा सकती है।

मो0 26.29636 करोड़ रु0 के स्वीकृत केन्द्रांश की प्रथम किस्त मो0 6.57409 करोड़ रु0 के विरुद्ध समानुपातिक राज्यांश मो0 4.38271 करोड़ रु0 मात्र को सम्मिलित करते हुए राशि का व्यय निम्न लघु शीर्षों में प्राप्त बजट उपबंध के अंतर्गत किया जाएगा-

माँग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-उप शीर्ष-77-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

(राशि रु0 में)

क0	विस्तृत शीर्ष	स्वीकृत बजट उपबंध	पुनर्विनियोग द्वारा संशोधित बजट उपबंध	स्वीकृत्यादेश सं0 17 रा0 (वि0) दिनांक 25.07. 2023 द्वारा स्वीकृत राशि	वर्तमान में स्वीकृत राशि	अवशेष बजट उपबंध
लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली-पालन						
1	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050010177010649	201000000	201000000	0.00	30366900	170633100
	कुल केन्द्रांश	201000000	201000000	0.00	30366900	170633100
2	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050010177010649	134000000	133171234	0.00	20244600	112926634
3	07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050010177010759	30000000	3828766	3828766	0.00	0.00
	कुल राज्यांश	137000000	137000000	3828766	20244600	112926634

लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना						
4	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050078977010649	45000000	45000000	0.00	7986150	37013850
	कुल केन्द्रांश	45000000	45000000	0.00	7986150	37013850

लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना						
5	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050078977010649	30000000	29963370	0.00	5324100	24639270
6	07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050078977010759	700000	736630	736630	0.00	0.00
कुल राज्यांश		30700000	30700000	736630.00	5324100	24639270

लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना						
7	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050079677010649	135000000	135000000	0.00	27387850	107612150
कुल केन्द्रांश		135000000	135000000	0.00	27387850	107612150
8	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050079677010649	90000000	89595396	0.00	18258400	71336996
9	07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050079677010759	1300000	1704604	1704604.00	0.00	0.00
कुल राज्यांश		91300000	91300000	1704604	18258400	71336996
कुल योग :		640000000	640000000	6270000	109568000	524162000
कुल स्वीकृत केन्द्रांश मो0 6.57409 /- करोड़ (छः करोड़ सन्तावन लाख चालीस हजार नौ सौ) मात्र						
कुल स्वीकृत राज्यांश मो0 4.38271 /- (चार करोड़ अड़तीस लाख सत्ताईस हजार एक सौ) मात्र						

- इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे तथा भारत सरकार द्वारा इस प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध केन्द्रांश की राशि विमुक्त किये जाने पर समानुपातिक राज्यांश सहित राशि की निकासी डोरण्डा कोषागार से की जायेगी।
- इस योजना के तहत स्वीकृत/आवंटित राशि का व्यय Public Financial Management System (PFMS) की नई प्रक्रिया को अपनाते हुए किया जायेगा तथा इस संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा समय-समय पर संसूचित सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- प्रासंगिक योजना के तहत भारत सरकार के द्वारा संसूचित सभी दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।
- इस केन्द्र प्रायोजित योजना में निजी क्षेत्र के लाभुकों की योजनाओं में कोटिवार लाभुकों का अंशदान निम्न प्रकार है-

लाभुकों की कोटि	अनुदान की राशि		लाभुक का अंशदान
	केन्द्रांश	राज्यांश	
सामान्य	60 %	40%	60 %
अनुसूचित जनजाति	60 %	40%	40 %
अनुसूचित जाति	60 %	40%	40 %
महिला	60 %	40%	40 %

9. इस योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की मार्गदर्शिका, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु भारत सरकार के पत्रांक j-01011/1/2020-Fy-(E-17706) दिनांक 26.07.2023 द्वारा निर्गत प्रशासनिक अनुमोदन तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्गत राज्यादेश सं0-49 रा0 (वि0) दिनांक 31.03.2021 की कंडिका-10.1 से 10.3, 10.5 एवं 10.6 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।
10. जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि लाभुकों का अंशदान समानुपातिक रूप से व्यय हो। योजना के कार्यान्वयन में भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत के अनुदानों के अतिरिक्त शेष राशि लाभुक द्वारा स्वयं वहन की जाएगी।
11. सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि लाभुकों का पूर्ण विवरण यथा नाम, आधार संख्या, मोबाईल नं0, बैंक खाता एवं राशि हस्तांतरण की विस्तृत जानकारी लाभुकों के अभिलेख में अंकित हों ताकि निदेशालय/भारत सरकार को पूर्ण विवरण प्रेषित किया जा सके।
12. सभी जिला मत्स्य पदाधिकारियों द्वारा योजना का प्रगति प्रतिवेदन साक्ष्य सहित मत्स्य निदेशालय को प्रेषित किया जाएगा।
13. जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **परिशिष्ट-1** के रूप में संलग्न है। जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि लाभुकों के द्वारा अपना अंशदान व्यय किया जाए। कार्य की प्रगति के अनुसार तीन किस्तों में अनुदान की राशि विमुक्त की जाएगी तथा अंतिम किस्त कार्य पूर्ण होने के बाद विमुक्त की जाएगी। व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची एवं मत्स्य निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा।
14. केन्द्रांश की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा भौतिक प्रगति का प्रतिवेदन भारत सरकार को नियमित रूप से भेजा जायेगा।
15. वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 400/बजट दिनांक 19.06.2023 के द्वारा निदेशित है कि "केन्द्रीय सेक्टर स्कीम (CSS), केन्द्र प्रायोजित स्कीम (CSPS) तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ACA) के लिए प्रावधानित राशि के लिए केन्द्रांश प्राप्ति की प्रत्याशा में स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जा सकता है। इन स्कीमों में प्रावधानित बजटीय उपबंध की राशि की निकासी के लिए आवंटनादेश तभी निर्गत किये जायें, जब केन्द्र सरकार से राशि विमुक्त हो जाये। आवंटनादेश में भारत सरकार से राशि की विमुक्ति संबंधी पत्र का उल्लेख किया जाय।"
16. कंडिका '15' के अनुपालन में इस प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन भारत सरकार से केन्द्रांश की विमुक्ति होने के उपरांत ही तदनुरूप राज्यांश की समानुपातिक राशि सम्मिलित करते हुये आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा जिसमें भारत सरकार से राशि की विमुक्ति संबंधी पत्र का उल्लेख किया जायेगा।
17. इस प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन प्रथम किस्त को छोड़कर भारत सरकार से विमुक्त होने वाली अन्य किस्तों की राशि के समानुपातिक योजना का स्वीकृत्यादेश सम्यक् योजना उद्ब्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त करते हुए, निर्गत किया जाएगा।
18. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं प्रशासनिक अनुमोदन हेतु निर्गत पत्रों में निहित सभी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

21/3/23

10

19. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का प्रथम स्वीकृत्यादेश [राज्यादेश सं० 49 रा० (वि०) दिनांक 31.03.2021] मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं०-सी०एस०-2/आर०-01-2005-301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के अनुपालन में योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.03.2021 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय, जिसका संसूचन योजना-सह-वित्त विभाग के पत्रांक रा०यो०प्रा०-41 राँची, दिनांक 24.03.2021 द्वारा किया गया है एवं मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन के आलोक में निर्गत किया गया है। दिनांक 29.06.2021 को आहूत मंत्रिपरिषद् की बैठक में योजना कार्यान्वयन की घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त है।
20. स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
21. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
22. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबकर सिद्दीख पी०)

सरकार के सचिव

राँची, दिनांक ०३.१०.२३

ज्ञापांक :- 24.10.23

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

राँची, दिनांक ०३.१०.२३

ज्ञापांक :- 24.10.23

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

राँची, दिनांक ०३.१०.२३

ज्ञापांक :- 24.10.23

प्रतिलिपि : योजना-सह-विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/वरीय लेखा पदाधिकारी, PFMS, झारखण्ड, राँची/आ० वि० सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त/माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

अनुलग्नक

la

S.No.	Name Of the Component	Unit Cost	Unit (No./Ha.)	Name of the District	General	ST	SC	Women	Total	Amount Sanctioned										Women		Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	General	State	Central	State	Central	State	Central	State	Central	State	Central	State	Central	State
4	Development of Ornamental and recreational Fisheries			Gumla	0	6	0	3	9	0.00	0.00	6.48	4.32	0.00	0.00	3.24	2.16	9.72	6.48				
4.1	Backyard Ornamental fish Rearing unit (Freshwater)	3.00	Nos.	Koderma	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.72	1.08	0.72				
				Khunti	0	3	0	0	3	0.00	0.00	3.24	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24	2.16				
				Total	0	9	0	4	13	0.00	0.00	9.72	6.48	0.00	0.00	4.32	2.88	14.04	9.36				
4.3	Integrated Ornamental Fish Unit (Breeding and Rearing for Freshwater fish)	25.00	Nos.	Bokaro	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	9.00	6.00				
				Total	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	9.00	6.00				
5	Technology/Infusion and Adaptation																						
5.1.1	Establishment of Large RAS (8 tanks of minimum 90 m3/tank capacity 40 ton /crop)	50.00	Nos.	Jamtara	1	0	0	0	1	6.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
				Deoghar	0	0	0	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	10.00	15.00	10.00				
				Ranchi	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	5.00	7.50	5.00				
				Total	1	0	0	3	4	6.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	15.00	28.50	19.00				
5.1.2	Establishment of Biofloc (50 tanks of 4m dia and 1.5 high) culture system	50.00	Nos.	Palamu	1	1	0	1	3	12.00	8.00	18.00	12.00	0.00	0.00	18.00	12.00	48.00	32.00				
				Bokaro	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	12.00	18.00	12.00				
				Deoghar	0	0	0	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	24.00	36.00	24.00				
				Sahebganj	0	0	0	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	24.00	36.00	24.00				
				Total	1	1	0	6	8	12.00	8.00	18.00	12.00	0.00	0.00	108.00	72.00	138.00	92.00				
5.2.1	Establishment of Medium RAS (with 6 tanks of minimum 30m3/tank capacity 10 ton /crop)	25.00	Nos.	Gumla	0	4	0	2	6	0.00	0.00	36.00	24.00	0.00	0.00	18.00	12.00	54.00	36.00				
				Sindega	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	9.00	6.00				
				Palamu	1	0	3	1	5	6.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	28.00				
				Giridih	1	0	0	0	1	6.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00				
				Deoghar	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	9.00	6.00				
				Dhanbad	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	9.00	6.00				
				Total	2	4	3	6	15	12.00	8.00	36.00	24.00	0.00	0.00	54.00	36.00	129.00	86.00				
				Dumka	0	2	0	4	6	0.00	0.00	18.00	12.00	0.00	0.00	36.00	24.00	54.00	36.00				
				Sahebganj	0	1	0	3	4	0.00	0.00	9.00	6.00	0.00	0.00	27.00	18.00	36.00	24.00				
				Gumla	0	1	0	1	2	0.00	0.00	9.00	6.00	0.00	0.00	9.00	6.00	18.00	12.00				
				Chatra	0	0	0	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	12.00	18.00	12.00				
				Khunti	0	0	0	1	1	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	9.00	6.00				
				Jamshedpur	0	1	0	1	2	0.00	0.00	9.00	6.00	0.00	0.00	9.00	6.00	18.00	12.00				
5.2.2	Establishment of Biofloc Culture System (25 tank of 4m dia and 1m High)	25.00	Nos.	Palamu	1	1	1	1	4	6.00	4.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	33.00	22.00				
				Pakur	0	1	0	1	2	0.00	0.00	9.00	6.00	0.00	0.00	9.00	6.00	18.00	12.00				
				Deoghar	1	0	3	1	5	6.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	42.00	28.00				
				Koderma	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	9.00	6.00				
				Godda	0	0	0	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	30.00	45.00	30.00				
				Total	2	7	4	21	34	12.00	8.00	63.00	42.00	36.00	24.00	189.00	126.00	300.00	200.00				
5.3.1	Establishment of small RAS (with 1 tank of 100m3 capacity)	7.50	Nos.	Dumka	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	1.80	2.70	1.80				
				Gumla	0	8	0	4	12	0.00	0.00	21.60	14.40	0.00	0.00	10.80	7.20	32.40	21.60				
				Sindega	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	1.80	2.70	1.80				
				Chatra	0	0	0	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10	5.40	8.10	5.40				
				Palamu	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	1.80	2.70	1.80				
				Deoghar	0	0	0	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10	5.40	8.10	5.40				
				Koderma	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	1.80	2.70	1.80				
				Chaibasa	0	1	0	0	1	0.00	0.00	2.70	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	1.80				
				Total	0	9	0	14	23	0.00	0.00	24.30	16.20	0.00	0.00	37.80	25.20	62.10	41.40				

96V

Signature

S.No.	Name Of the Component	Unit Cost	Unit (No./Ha.)	Name of the District	Category (Beneficiary nos.)	General	ST	SC	Women	Total	Central	State	Central	State	SC	Women	Total	State
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.3.2	Establishment of small Biofloc (7 tanks of 4m dia and 1.5 high) culture system	7.50	Nos.	Total	10	19	5	64	98	18.00	12.00	51.30	34.20	13.50	9.00	172.80	115.20	255.60
				Godda	1	0	0	5	6	1.80	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	9.00	15.30
				Lohardaga	1	0	0	0	1	1.80	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.20	1.20
				Koderma	0	0	0	0	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	7.20	7.20
				Deoghar	0	0	0	0	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10	5.40	5.40
				Bokaro	0	0	0	0	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	3.60	3.60
				Giridih	0	0	0	0	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	3.60	3.60
				Ramgarh	0	0	0	0	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10	5.40	5.40
				Garhwa	1	1	3	3	8	1.80	1.20	2.70	1.80	5.40	8.10	5.40	20.70	13.80
				Palamu	0	0	0	0	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10	5.40	5.40
				Pakur	5	9	0	6	20	9.00	6.00	24.30	16.20	0.00	0.00	10.80	49.50	33.00
				Jamshedpur	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	1.80	1.80
				Chaibasa	0	3	0	0	3	0.00	0.00	8.10	5.40	0.00	0.00	8.10	5.40	5.40
				Ranchi	0	1	0	2	3	0.00	0.00	2.70	1.80	0.00	0.00	8.10	5.40	5.40
				Jamtara	0	0	0	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10	5.40	5.40
				Dhanbad	1	0	1	3	5	1.80	1.20	0.00	0.00	2.70	1.80	8.10	5.40	12.60
				Chatra	1	0	1	5	7	1.80	1.20	0.00	0.00	2.70	1.80	13.50	9.00	18.00
				Gumla	0	3	0	3	6	0.00	0.00	8.10	5.40	0.00	0.00	8.10	5.40	16.20
				Sahebganj	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	1.80	2.70
				Dumka	0	2	0	15	17	0.00	0.00	5.40	3.60	0.00	0.00	40.50	27.00	45.90
				Dumka	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Pakur	0	1	0	0	1	0.00	0.00	14.40	9.60	0.00	0.00	0.00	14.40	9.60
				Deoghar	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Koderma	0	0	1	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Godda	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total	0	1	1	9	7	0.00	0.00	14.40	9.60	0.00	0.00	14.40	9.60	19.20
6.1	Construction of Cold Storages/ Ice Plants	40.00	Nos.	Total	0	1	1	7	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20
				Pakur	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Koderma	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total	0	0	0	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.2	Construction of Ice Plants/Cold Storages (min 20 ton capacity production)	80.00	Nos.	Total	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20
				Pakur	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Koderma	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total	0	0	0	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3	Refrigerated vehicles	25.00	Nos.	Total	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				Jamtara	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				Bokaro	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				Dumka	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				Giridih	0	0	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				Pakur	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				Chatra	1	0	0	0	1	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
				Total	0	0	0	3	3	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.60
				Pakur	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20
				Koderma	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20
				Total	0	0	0	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.40
				Pakur	0	1	1	7	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.60
				Koderma	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40
				Godda	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40
				Total	0	0	0	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.60
				Pakur	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				Koderma	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				Deoghar	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				Bokaro	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				Pakur	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				Giridih	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				Chatra	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				Total	0	0	0	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
				Pakur	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				Koderma	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				Deoghar	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				Bokaro	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				Pakur	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				Giridih	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				Chatra	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				Total	0	0	0	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
				Pakur	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				Koderma	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				Deoghar	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				Bokaro	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				Pakur	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				Giridih	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				Chatra	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				Total	0	0	0	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
				Pakur	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				Koderma	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				Deoghar	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				Bokaro	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				Pakur	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				Giridih	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				Chatra	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				Total	0	0	0	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
				Pakur	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				Koderma	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				Deoghar	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				Bokaro	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.0						

[illegible]

वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत कोटिवार भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी (लाख रु० में)

S.No.	Name Of the Component	Unit Cost	Unit (No./Ha.)	Name of the District	Category (Beneficiary nos.)					Amount Sanctioned									
					General	ST	SC	Women	Total	General		ST		SC		Women		Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Central	State	Central	State	Central	State	Central	State	Central	State
6.8	Live fish vending Centres	20.00	Nos.	Sahebganj	1	0	0	0	1	4.80	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	3.20
				Garhwa	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	4.80	7.20	4.80
				Latehar	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	4.80	7.20	4.80
				Giridih	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	4.80	7.20	4.80
				Dumka	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	4.80	7.20	4.80
				Bokaro	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	4.80	7.20	4.80
				Chatra	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	4.80	7.20	4.80
				Total	1	0	0	6	7	4.80	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	43.20	28.80	48.00	32.00
6.9	Fish Feed Mills																		
6.9.1	Mini Mills of Production capacity of 2 ton/day	30.00	Nos.	Sahebganj	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	7.20	10.80	7.20
				Gumla	0	1	0	1	2	0.00	0.00	10.80	7.20	0.00	0.00	10.80	7.20	21.60	14.40
				Simdega	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	7.20	10.80	7.20
				Chatra	1	0	1	1	3	7.20	4.80	0.00	0.00	10.80	7.20	10.80	7.20	28.80	19.20
				Pakur	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	7.20	10.80	7.20
				Palamu	0	1	0	1	2	0.00	0.00	10.80	7.20	0.00	0.00	10.80	7.20	21.60	14.40
				Koderma	0	0	1	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	7.20	0.00	0.00	10.80	7.20
				Seraikela	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	7.20	10.80	7.20
Total				1	2	2	7	12	7.20	4.80	21.60	14.40	21.60	14.40	75.60	50.40	126.00	84.00	
6.9.3	Large mills of production capacity of 20 ton/day	200.00	Nos.	Ranchi *	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.18	44.78	67.18	44.78
				Total				0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.18	44.78
7	Markets and Marketing Infrastructure																		
7.2	Construction of fish kiosks	10.00	Nos.	Dumka	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	2.40	3.60	2.40
				Gumla	0	2	0	1	3	0.00	0.00	7.20	4.80	0.00	0.00	3.60	2.40	10.80	7.20
				Deoghar	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	2.40	3.60	2.40
				Chatra	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	2.40	3.60	2.40
				Total				0	2	0	4	6	0.00	0.00	7.20	4.80	0.00	0.00	14.40
9	Aquatic health management																		
9.1	Establishment of Disease diagnose and quality testing labs	25.00	Nos.	Giridih	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	9.00	6.00
				Total				0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00
11	Strengthening of Saftey and Security fishermen																		
11.2.2	Providing boats (replacement and nets for traditional fishermen)	0.50	Nos.	Koderma	9	1	9	8	27	1.08	0.72	0.18	0.12	1.62	1.08	1.44	0.96	4.32	2.88
				Total				9	1	9	8	27	1.08	0.72	0.18	0.12	1.62	1.08	1.44
11.2.2	Providing Dengi for traditional fishermen	0.80	Nos.	Koderma	2	0	5	8	15	0.384	0.256	0.000	0.000	1.440	0.960	2.304	1.536	4.128	2.752
				Total				2	0	5	8	15	0.384	0.256	0.000	0.000	1.440	0.960	2.304
Total :					196	279	195	436	1106	158.81	105.872	526.68	351.12	319.45	212.964	1624.70	1083.128	2629.636	1753.084

* नोट - राँची जिला हेतु महिला कोटि में स्वीकृत Large mills of production capacity of 20 ton/day के लिए इकाई लागत मो० 200.00 लाख रु० मात्र के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा मो० 186.60 लाख रु० मात्र की ही परियोजना स्वीकृत की गई है।

** S.No. is mentioned as per PMMSY guidelines issued by GoI.

(कर्मिकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।)

3/4/24
राजीव

(अबुबकर सिद्दीख पी०)
सरकार के सचिव